प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 30 दिसम्बर, 2022

विषयः–राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अभिदाता अंशदान की वापसी के सम्बन्ध मे

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–337/XXVII(10)/2022–01(04)/2021, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता/असमर्थता के कारण राज्य सरकार की सेवा में अक्षमता के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत समस्त लाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों के राष्ट्रीय पेंशन योजना से सम्बन्धित एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) में अवस्थित प्रान खाते में कुल जमा धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा, की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 30.03.2021 द्वारा निर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के प्रस्तर 20(2) की व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

"यदि अभिदाता की मृत्यु होने पर केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपनियम (1) के अनुसरण में कुटुम्ब को हितलाभ देय है, तो अभिदाता के संचित पेंशन कार्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकार के खाते में अंतरित किया जायेगा। शेष संचित पेंशन कार्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा, जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक **और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अन्तर्गत नाम निर्देशन किया गया है। यदि ऐसा कोई नाम निर्देशन नहीं है या यदि किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो संचित पेंशन कार्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा।**

3. उत्तराखण्ड राज्य में नई पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आँच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की नीतियों का अनुसरण किया जा रहा है। अतः केन्द्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 30.03.2021 द्वारा निर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के नियम–20(2) में की गई व्यवस्था के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नानुसार

Generated from eOffice by GODAWARI RAWAT, RO-FIN 10-GR, REVIEW OFFICER, Finance Department on 02/01/2023 04:15 PM

व्यवस्था प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर, सम्बन्धित कार्मिक के परिवार को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत हित लाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में, सम्बन्धित कार्मिक (अभिदाता) के संचित पेंशन कार्पस में राज्य सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ राज्य सरकार के खाते में अंतरित किया जायेगा, शेष संचित पेंशन कार्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अन्तर्गत नाम निर्देशन किया गया है। यदि ऐसा कोई नाम निर्देशन नहीं है या यदि किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है तो संचित पेंशन कार्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा।"

4. उपयुर्क्त शासनादेश संख्या-337/XXVII(10)/2022-01(04)/2021, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगे।

भवदीय,

Signed by Anand Bardha
Date: 30-12-2022 01:11:3

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांकः-तदैव।</u>

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
4. निदेशक, कोषागार, लेखा, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।